



कार्यालय अधीक्षक, नारी निकेतन,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर

लोहागढ़ अजमेर (राज.), पिन: 3005004

E-Mail : nariniketanajmer@gmail.com

क्रमांक: सान्याअवि/2021-22/ ७९

दिनांक : 28/04/2022

ई-निविदा सूचना संख्या 1/2022-23 (एक वर्ष के लिये)

इस कार्यालय के अधीन संचालित नारी निकेतन में रसोईया, सुरक्षा गार्ड, अटेंडेंट, आया, स्वीपर एवं महिला काउंसलर की सेवाएं जॉब बेसिस पर लेने हेतु पंजीकृत संवेदकों/संस्थाओं से शर्तरहित ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत 16.00 लाख के लगभग है। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट sje.rajasthan.gov.in या लोक उपापन पोर्टल पर वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in या e-proc.rajasthan.gov.in एवं डी आई पी आर की वेबसाईट www.dipronline.org पर देखी जा सकती है।

UBN:-----CED2223SLRC00006

NIB CODE: ---CED2223A0005

28/04/2022
अधीक्षक

नारी निकेतन।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

क्रमांक: सान्याअवि/2021-22/ ८०-८३

दिनांक : 28/04/2022

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति मेल द्वारा भिजवाकर निवेदन है कि नियमानुसार आपके विभाग की बेवसाइट पर प्रकाशित कराने का श्रम करावे एवं निविदा सूचना एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा एक क्षेत्रीय स्तर के मुख्य दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करावें।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र ई-मेल से भेजकर निवेदन हैं कि नियमानुसार विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/जिला परिषद/नगर निगम अजमेर।
- श्रीमान उपनिदेशक महोदय, सान्याअवि, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीन कार्यालय में पदस्थापित लेखाकार को उक्त टेण्डर प्रक्रिया में निर्धारित तिथियों एंव अन्य लेखा संबंधित आवश्यक कार्यावाही सम्पादित करने हेतु निदेशित कराने का कष्ट करावे।

28/04/2022
अधीक्षक

नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

कार्यालय अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर
 email id- nariniketanajmer@gmail.com

द्रमांक :- सान्ध्याअवि / 2021 / 78

दिनांक : 28/4/22


बिड आमंत्रण सूचना संख्या.....01.. / 2022-23

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित नारी निकेतन, लोहागल, अजमेर के सुचारू संचालन हेतु सुरक्षागार्ड, रसोईया, आया, स्वीपर, अटेंडेंट, महिला काउंसलर की सेवायें वित्त वर्ष 2022-23 के लिये जॉब बेसिस पर लेने हेतु राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर पाटनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, प्राईवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2005, राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों/संस्थाओं/सेवाप्रदाता ऐजेंसियों से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत शर्त रहित ऑनलाईन (ई-प्रोक्रोरमेंट) बोली आमंत्रित की जाती है :—

महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय

1.	जॉब बेसिस सेवा आपूर्ति का कार्य विवरण	शिड्यूल G के अनुसार
2.	अनुमानित लागत	16.00 लाख रुपये
3.	बिड प्रपत्र शुल्क	500.00 रुपये
4.	बिड प्रतिभूति राशि	रु: 32,000/-
5.	आई.आर.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस	1000.00 रुपये
6.	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	02/05/2022 प्रातः: 10.00 बजे
7.	ऑनलाईन बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि	16/05/2022 प्रातः: 06.00 बजे तक
8.	ऑनलाईन बिड में दर्शाए गए बिड प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, RISL प्रक्रिया शुल्क एवं बिड प्रतिभूति भौतिक रूप से जमा कराने की अंतिम तिथि	17/05/2022 प्रातः: 10.00 बजे तक
9.	ऑनलाईन तकनीकी बिड खोलने की तिथि	17/05/2022 दोपहर 03.00 बजे तक
10.	ऑनलाईन वित्तीय बिड खोलने की तिथि	बाद में सूचित कर दिया जायेगा।

बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय बेब साईट sje.rajasthan.gov.in या लोक उपापन पोर्टल spprjasthan.gov.in एवं [e-proc. rajasthan.gov.in](http://e-proc.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है/डाउनलोड की जा सकती है। बिड [e-proc. rajasthan.gov.in](http://e-proc.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाईन प्रस्तुत की जा सकती है।


 अधीक्षक
 नारी निकेतन,
 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 अजमेर

दिनांक :

तकनीकी बिड

1. उपापन संस्था का विवरण : अधीक्षक, नारी निकेतन, सान्याअवि, अजमेर
2. कार्य का विवरण : रसोईया, सुरक्षा गार्ड, आया, स्वीपर अटैंडेंट व महिला काउंसलर की जॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्य
3. अनुमानित लागत : रु: 16.00 लाख
4. बिड आमंत्रण संख्या : दिनांक
5. फर्म/एजेन्सी/संस्था या अन्य का पैन नं. : (छाया प्रति सलंगन करें)
6. बोलीदाता का विवरण :
 (1) फर्म/संस्था का पूरा नाम :

(2) संस्था का प्रकार (एनजीओ/फर्म/कं./अन्य):

(3) पूर्ण पता :

(4) टेलीफोन नं. :

(5) मोबाइल नं. :

(6) ई-मेल पता :

7. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :-

क्र.सं.	प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रकार एवं विवरण	पेज न. अंकित करें	हाँ या नहीं	जारी होने की तिथि / वैधता अवधि / बैक का
1.	ई-टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500/- जमा कराने का ड्राफट / बैकर्स चैक नम्बर दिनांक प्रस्तुत किये जाने का विवरण			
2.	ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रुपये 1000/- जमा कराने का ड्राफट / बैकर्स चैक नम्बर दिनांक प्रस्तुत किये जाने का विवरण			
3.	सूचना मे अंकित अंकित अमानत राशि रुपये 32000/- ड्राफट / बैकर्स चैक नम्बर दिनांक प्रस्तुत किये जाने का विवरण			
4.	15 मैन पावर सप्लाई हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र			
5.	फर्म/संस्था के पंजीकरण की सूचना आदि			

	A. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970		
	B. कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952,		
	C. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948,		
	D. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी),		
	E. इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत		
	F. इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956		
	G. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958		
	H. आयकर (पैन नम्बर)		
	I. प्राईवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी एक्ट, 2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट, 2006 के तहत जारी लाईसेस		
6	गत तीन वित्तीय वर्षों का सीए का ऑडिट रिपोर्ट (2018-19 से 2020-21)		
7	गत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न (2018-19 से 2020-21)		
8	गत वर्षों में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र (100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र पर एवं नोटेरी द्वारा प्रमाणित)		
9	Annexure '1' संलग्न करना। (गत तीन वर्षों का औसत वार्षिक ग्रूनलम रु. 16.00 लाख रुपये का टर्न आवर) सी.ए. द्वारा जारी प्रमाणपत्र		
10	परिशिष्ठ 1, 2, 3, 4 एवं A,B,C,D		
11	बैंक का विवरण A. बैंक खाताधारक संस्था का पूरा नाम B. बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम व शाखा का नाम C. बैंक खाते का प्रकार D. आई एफ एस सी कोड		

8. इसके अलावा हमारे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:-

1.
2.
3.
4.
5.

9. मैं/हम कार्यालय अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक दिनांक मैं वर्णित समस्त भारतीय तथा सलंगन पत्रों (जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण

स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) मैं/हम दी गई समस्त शर्तों से वाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/ हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज वैधानिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरुद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
दिनांक :

२५

दिनांक :

वित्तीय निविदा

- संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:-

(संवेदक द्वारा ई प्रोक्योरमेंट में ऑनलाइन भरा जाना)

क्रम सं.	जॉब बेसिस कार्य की प्रकृति	श्रमिक की श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर प्रति व्यक्ति प्रति माह	EPF की दर 13% से राशि	ESI की दर 3.25% से राशि	कुल राशि	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति सेवा दर का प्रतिशत व राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुरक्षागार्ड-6	कुशल	7176/-	933/-	233/-	8342/-	
2	रसोईया-2	कुशल	7176/-	933/-	233/-	8342/-	
3	अटेंडेंट-2	कुशल	7176/-	933/-	233/-	8342/-	
4	आया-2	कुशल	7176/-	933/-	233/-	8342/-	
5	स्वीपर-2	अकुशल	6552/-	852/-	213/-	7617/-	
6	महिला काउंसलर-1	उच्च कुशल	8476/-	1102/-	275/-	9853/-	
7	मनोवैज्ञानिक(विजिटीग)-1	उच्च कुशल	विभाग द्वारा निर्धारित 400/- प्रति विजिट अधिकतम 20 विजिट प्रतिमाह या विभाग से प्राप्त निर्धारित नार्मस व दिशा-निर्देश के आधार पर				

- GST नियमानुसार लागु होगी।
- सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिव्यक्ति सेवा दर का प्रतिशत में शून्य दर स्वीकार्य नहीं होगी।
- श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन राज्य सरकार की अधिसूचना / श्रम विभाग समय-समय पर परिवर्तन अनुसार परिवर्तित रहेगी।

दिनांक :—.....

हस्ताक्षकर निविदाता मय सील

कार्यालय अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर
में जॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्य:-

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश एवं शर्तें

Important Instruction : The Law relating to procurement “The Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012” [herein after called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013” [herein after called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. निविदा प्रस्तुत करने की विधि व प्रक्रिया :

- (1) बोली प्रस्तुत करने की इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रपत्र <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। यह प्रपत्र <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- (2) ऑनलाइन निविदा, <http://eporc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत की जायेगी। जिसके लिए इस पोर्टल पर इच्छुक निविदादाताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा।
- (3) ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदादाता के पास टाईप 2 एवं टाईप 3 का DSC डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (4) बोली इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा से संबंधित वित्तीय बिड प्रपत्र के अतिरिक्त सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर स्केन करते हुए तथा आव यक अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्कैन करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर कर निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।
- (5) वित्तीय बिड प्रपत्र एक्सेल फोरमेट में ऑनलाइन दरें प्रस्तुत की जावेगी। निविदादाता इस बात को विशेष ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही दरें वित्तीय बिड प्रपत्र के अलावा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं की जावें।
- (6) तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड को खोला जावेगा।
- (7) ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु e-procurement cell, Rajasthan Info Services Ltd. (RISL) Department of Information Technology, Yojana Bhawan, Tilak marg, C-Scheme, Jaipur 302010 AM to 6 AM पर सम्पर्क किया जा सकता है।

2. ई.बिड प्रस्तुत करने के लिए पात्रता:

कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था जो राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी),

आयकर (पैन नम्बर), राजस्तान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958, या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, प्राइवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 एवं राजस्तान प्राइवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2006 के अन्तर्गत जो इनमें पंजीकृत हो तथा गत तीन हैं। इस हेतु Annexure-1 भर कर व पंजीकरण की सुचना Annexure-2 तथा चैक लिस्ट भरकर आवश्यक होगा।

3. बिड की सामान्य निर्देश एवं भार्ते :

- (1) उपापन संस्था— कार्यालय अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर
- (2) उपापन की पद्धति— खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति से दर संविदा हेतु द्वि प्रकमी बोली।
- (3) बोली प्रपत्रों का मूल्य—रुपये 500/- जिसका बैंकर्स चेक/डी.डी., अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के पक्ष में देय होगा।
- (4) बोली प्रोसेसिंग शुल्क 1000/- रुपये जिसका डी.डी. MD. RISL जयपुर के नाम से जारी किया हो एवं जयपुर में देय हो।
- (5) धरोहर राशि रु. 32000/- का बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफट अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के पक्ष में देय होगा।
(नोट— निर्धारित दिनांक एवं समय तक धरोहर राशि/निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क की डीडी भौतिक रूप से अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर को जमा कराना होगा।)

4. निविदा प्रस्तुत करने वाले को दर BOQ निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत करनी होगी।

5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधनों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
6. राजस्तान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्राइवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 एवं राजस्तान प्राइवेट सिक्यूरिटी ऐजेंसी (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
7. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करावई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
8. श्रम, विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
9. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसुचना के समय-समय पर वृद्धि हाने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
10. संवेदकर को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अशंदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

11. संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रकृति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने, की शिकायत करने सम्बन्धित प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
12. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा। प्रस्तुत चालानों के साथ लगाये गये कर्मचारियों के EPF, ESI, के चालानों में नामों व EPF खाता संख्या वर्णित आधार कार्ड सहित डिटेल प्रस्तुत करनी होगी।
13. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धाति नियमों, अपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करन का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये। वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माही के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दायित्वा के निर्वहन का उत्तर दायित्व संवेदक का होगा।
15. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिये उत्तरदायी होगा।
16. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमूक्त करने, कार्मिकों की उपस्थिति संवेदक स्वयं अपने कार्मिक के माध्यम से संस्था से प्राप्त करेगी व नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक, दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
19. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना विभागीय अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म को मुक्त नहीं किया जाएगा।
20. निविदा के साथ सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
21. निविदा खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
22. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलों में जब कर ली जायेगी:-
- (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है या उसमें कोई उपान्तरण करता है।
 - (2) निविदादाता निर्धारित दिनांक तक अनुबंध करने में असफल रहता है।
 - (3) निविदादाता आदेश देने के बाद निर्धारित अवधि से प्रतिभूति राशि जमा कराने में असफल रहता है।

23. सफल निविदादाता का अनुमोदन हाने पर 7 दिवस में अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सपांदन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। इसमें निविदा के समय जाम करवाई गई धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में कर लिया जायेगा।

24. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) :** सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम मात्र और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :

- (1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्रापट या बैंकर चैक
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वांरटी बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से पूरी 60 दिन की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
- (3) सफल बोली लगाने वाले की दा गा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

25. प्रतिभूति राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त करली जायेगी :-

1. संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर।
2. सेवायें/सन्तोष जनक ढंग से कार्य करने में असफल रहने पर।
3. इस सम्बन्ध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

26. श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आयकर विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, नगरपालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम आदि से संबंधित समस्त प्रकार की फीस/पेनल्टी/शास्ति के भुगतान के लिए यह कार्यालय का जिम्मेवार नहीं होगा।

27. भुगतान : बोलीदाता को निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा :-

- (अ) भुगतान अधीक्षक, नारी निकेतन, अजमेर द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर स्वीकृत दर पर देय होगा।
 - (इ) कार्मिक को साप्ताहिक अवकाश देना होगा एवं साप्ताहिक अवकाश के दिन अतिरिक्त कार्मिक लगाने होगे/उपलब्ध कार्मिकों से अतिरिक्त कार्य कराना होगा, जिसका न्यूनतम मजदूरी की दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा।
 - (स) न्यूनतम मजदूरी भुगतान का प्रमाण पत्र आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
 - (द) समय—समय पर लागू श्रम अधिनियम एवं नियमों की पालना करनी होगी।
 - (य) सरकार को देय समस्त करों की कटौती बोली दाता के बिल से की जायेगी।
 - (र) भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य करने के उपरान्त पिछले माह के ई.पी.एफ. ई.एस.आई. व अन्य के खातों में जमा राशि का चालान एवं बैंक खातों में जमा का विवरण प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें बिल से घटाया जायेगा।
 - (ल) जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा तथा इससे संबंधित मद में जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

28. अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जावेगी यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह संभव नहीं हो तो राजस्थान लोक मांग अधिनियम PDR (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

29. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (**Correction of arithmetic errors in financial bids**) : बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामलों में तथाकथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

23. सफल निविदादाता का अनुमोदन हाने पर 7 दिवस में अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। इसमें निविदा के समय जाम करवाई गई धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में कर लिया जायेगा।

24. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security)** : सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :

- (1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफट या बैंकर चैक
- (2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वांटटी बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से पूरी 60 दिन की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
- (3) सफल बोली लगाने वाले की दा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

25. प्रतिभूति राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त करली जायेगी :-

1. संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर।
2. सेवायें / सन्तोष जनक ढंग से कार्य करने में असफल रहने पर।
3. इस सम्बन्ध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

26. श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आयकर विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, नगरपालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम आदि से संबंधित समस्त प्रकार की फीस/पेनल्टी/शास्ति के भुगतान के लिए यह कार्यालय का जिम्मेवार नहीं होगा।

27. **भुगतान** : बोलीदाता को निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा :-

(अ) भुगतान अधीक्षक, नारी निकेतन, अजमेर द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर स्वीकृत दर पर देय होगा।

- (ब) कार्मिक को साप्ताहिक अवकाश देना होगा एवं साप्ताहिक अवकाश के दिन अतिरिक्त कार्मिक लगाने होंगे / उपलब्ध कार्मिकों से अतिरिक्त कार्य कराना होगा, जिसका न्यूनतम मजदूरी की दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा।
- (स) न्यूनतम मजदूरी भुगतान का प्रमाण पत्र आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (द) समय—समय पर लागू श्रम अधिनियम एवं नियमों की पालना करनी होगी।
- (य) सरकार को देय समस्त करों की कटौती बोली दाता के बिल से की जायेगी।
- (र) भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य करने के उपरान्त पिछले माह के ई.पी.एफ. ई.एस.आई. व अन्य के खातों में जमा राशि का चालान एवं बैंक खातों में जमा का विवरण प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें बिल से घटाया जावेगा।
- (ल) जी.एस.टी. का भुगतान नियमानुसार पृथक से देय होगा तथा इससे संबंधित मद में जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

28. अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जावेगी यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह संभव नहीं हो तो राजस्थान लोक मांग अधिनियम PDR (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

29. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (**Correction of arithmetic errors in financial bids**) : बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामलों में तथाकथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

11

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटियों रह गई है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

30. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार : उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये विना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

31. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity):

1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई सेवा उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिश्ट परिमाण से कम/ज्यादा उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिणामों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं मूल आदेशित मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।

32. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award) : सामान्य नियम के रूप में उपापन की विशयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विशयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा। जिसकी बोली स्वीकार या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

33. सेवाओं की गारंटी/वारंटी – बोली दाता को उपापन की सेवाएँ बोली दस्तावेजों एवं समय-समय पर उपापन संस्था द्वारा दिये निर्दोशों के अनुरूप संपादित करनी होगी। निरीक्षण के दौरान सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उपापन संस्था को अनुबन्ध समाप्त करने या ऐसा निर्णय लेने का अधिकार होगा जो वह युक्तियुक्त समझें। उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं बोली दाता के लिए बाध्यकारी होगा।

34. करार का निष्पादन (Execution of Agreement) :

1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम दस दिवस में एक करार पत्र (नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर) निष्पादित करना आवश्यक हैं विशेष परिस्थितियों में कार्यालय को अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपर्युक्त कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों की बोली लगाने वालों को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

3) बोली लगाने वाले को उसके खर्च पर 500/- मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिफ़ूल (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

35. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity)** : उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति-

1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रि वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

2) सूचना का ऐसा दुर्व्यापदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह रहने का प्रयास करता हो।

3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निषपक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंघि, बोली में कूट मूल्य में वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आ य से दुरुपयोग नहीं करेगा।

5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुँचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी दिवर्जन को प्रकट करेगा।

36. **हित का विरोध (Conflict of Interest) :**

1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,-

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं,

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है,

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है,

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है, जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुँचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो,

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि वह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है, या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विशयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अहंता कर्सौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विशयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और उन्य दस्तावेज या तैयार किये गये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो सम्बद्ध है और न ही सम्बद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

37. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग : अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबंध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

38. वाद-विवाद : किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में प्रकरण पक्षकारों द्वारा विभागात्मकों को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में स्वयं अथवा विभाग के साथम अधिकारी की नियुक्ति करेगा, यह अधिकारी इस विवाद में संवित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं वाच्यकारी होगा।

39. न्यायिक क्षेत्र : इस निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र अजमेर भाहर होगा।

40. रसोईयो एवं चौकीदार के कार्यों की वित्तीय निविदा को वित्तीय स्थीकृति के लिए दरों के संबंध में पृथक पृथक इकाई माना जाएगा।

41. सामान्य वित्तीय लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शकता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

42. कार्य की अवधि कार्यादेश तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अवधि बढ़ाने या घटाने का अधिकार अधीक्षक, नारी निकेतन, सान्ध्याअवि के पास होगा। स्थायी कार्मिक उपलब्ध होने की दशा में ठेक समाप्त कर दिया जायेगा।

43. यदि पूर्व में जो जॉब वेसिस सेवा पर कार्य कर रहे हैं, के द्वारा यदि कोई रिट/वाद न्यायालय में विचाराधीन होने पर उनके निर्णय/रद्दे वेकेट होने तक निविदा में दर्शित कामगारों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है अथवा उनके स्थान पर नहीं भी रखा जा सकता है व आवश्यकतानुसार कामगारों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

44. किसी संवेदक/संस्था द्वारा गलत/मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर कार्यादेश रद्द कर दिया जायेगा व प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी एवं संवेदक संस्था को ब्लेकलिस्टेड कर दिया जायेगा।

45. निविदा में दरें समान आने पर उपापन समिति द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों पर निविदा का निर्णय किया जावेगा—

क्र. सं.	चयन का आधार	कार्यकुशलता का विवरण	चयन के लिए नियारित अंकों की संख्या
1.	गत तीन वित्तीय वर्ष (2018-19 से 2020-21) का औसत टर्नओवर (सी.ए. की रिपोर्ट के आधार पर एनेक्सर- 1)	अ. 50 लाख तक ब. 50,00,001 से 1 करोड़ स. 1 करोड़ से अधिक द. यदि एक से अधिक निविदादाता का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हैं तो सबसे अधिक टर्नओवर वाले केवल एक संवेदक को 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे।	10 अंक 15 अंक 20 अंक 10 अंक
2.	संवेदक/फर्म माह फरवरी-2022 में उपलब्ध कराये गये कुल मैन-पावर कार्मिकों की संख्या व उनको देय पीएफ एवं ईएसआई माह फरवरी, 2022 में कितने कार्मिकों का जमा कराया गया है। (चालानों की प्रति संलग्न करें मय कार्मिक विवरण) <ul style="list-style-type: none"> • फरवरी-2022 में कुल मैन पावर की संख्या अंकित करें- 	अ. 1-25 कार्मिकों तक ब. 26-50 कार्मिकों तक स. 51-75 कार्मिकों तक द. 75 से कार्मिकों से अधिक यदि एक से अधिक निविदादाता हैं तो सबसे अधिक कार्मिक सल्लाई करने वाले केवल एक संवेदक को 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे।	10 अंक 15 अंक 20 अंक 10 अंक
3.	संवेदक / फर्म का रजिस्ट्रेशन के अनुसार	अ. राजस्थान राज्य के बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	10 अंक

(रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)	ब.	राजस्थान राज्य के अंदर किन्तु अजमेर संभाग से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	15 अंक
	स.	अजमेर संभाग के अंदर किन्तु अजमेर जिले से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	20 अंक
	द.	अजमेर जिले की फर्म/संवेदक होने पर	25 अंक

यदि इसके उपरान्त भी दो या दो से अधिक संस्थाओं को एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो उपापन समिति द्वारा किसी एक संवेदक का चयन सर्वमान्य होगा जिसका समस्त अधिकार उपापन समिति को होगा।

46. अन्य शर्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार लागू होंगे।

47. Annexure-1, 2, 3, 4 व A, B, C, D संलग्न करना आवश्यक है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक :

शपथ पत्र

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 47 तक को भली-भाँति पढ़ लिया है, समझ लिया है एवं इन समस्त शर्तों की पूर्ण पालना हेतु सहमत हैं तथा पूर्ण पालना की निष्ठापूर्वक पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER

It is to certify that the average annual turnover of M/s.

Address.....
.....
.....

.....for the last three financial year
in supply of regarding work was:-

Sr. No.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (Rs. In Lakh)	Remarks
1.	2018-19		
2.	2019-20		
3.	2020-21		

Date:

Signature of the Auditor/Seal
Chartered Accountant
(name and Address)

Place:

Tel. No. :-

Mob.No. :-

योलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:- Annexure '2'

क्र. सं	विवरण	रजिऋ सं०	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर				
5	आयकर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956				
7	प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सीस (रेगुलेशन) एक्ट 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सीस (रेगुलेशन) एक्ट 2006 के अन्तर्गत जारी लाईसेन्स संलग्न करना				
8	बिड प्रपत्र शुल्क , प्रक्रिया शुल्क, धरोहर राष्ट्र का डी डी संलग्न करना।				
9	किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिषयल पर शपथ पत्र संलग्न करना।				
10	15 मैन पावर सप्लाई हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का प्रमाण पत्र संलग्न करना				
11	गत तीन वित्तीय वर्षों का सीए का ऑडिट रिपोर्ट (2018-19 से 2020-21) संलग्न करना				
12	गत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिट्टन (2018-19 से 2020-21) संलग्न करना				
13	गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम 16 लाख रुपये का टर्न आवर संलग्न करना				
14	परिशिष्ट 1.2.3.4 एवं A,B,C,D संलग्न करना				

हस्ताक्षर निविदादाता

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि यह संस्था/फर्म श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्यादिनांक है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर सकेगा।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

निविदादाता की घोषणा

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धरा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा प्रतिभूति/कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा। तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय सील

मय

Annexure – A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest:

Any person participating in the procurement process shall –

- a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g) disclose conflict of interest, if any; and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly

influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a

position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence

the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more

than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved.

However, this

does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in

more than one Bid; or

- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or

technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as

engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submit to.....For procurement of.....in response to their notice Inviting Bids No.....Date.....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer. not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition;

Date:


Signature of Bidder

Place:

Name:

Desination:

Address:



Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **DEPUTY DIRECTOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT AJMER**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **DIRECTOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT JAIPUR**

- 1. Filing an appeal :-** If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2.** The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3.** If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

- 4. Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

- 5. Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

- 6. Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled India payable in the name of Appellate Authority concerned.

- 7. Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, Page 15 to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- hear all the parties to appeal present before him; and
 - Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

1. Official address, if any:

2. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....

.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place

Date

Appellant's Signature :

21

Annexure – D: Additional Conditions of Contract

1- Correction of Arithmetical Errors :

Provided that the bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
- IV. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2- Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Documents may be increased or decreased, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. Additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% and 50% of Quantity of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

क्र. सं	जॉब फैसिस का प्रक्रिया	वाहित सेवाकार	कार्य का विवरण	शिडगूल-जी	जॉब फैसिस का औद्योगिकता	अर्हता
1.	सुरक्षा गार्ड	6(कुशल) न्यूनतम 3(महिला)	1.गृह में आवासारित महिलाओं/बच्चों की सुरक्षा का कार्य करना। 2.पुरुष (सुरक्षा गार्ड) द्वारा परिसर के मुख्य द्वार पर आने जाने वाले आगन्तुकों व परिसर के बाहरी क्षेत्र में पुर्ण निगरानी का कार्य करना। 3.आगन्तुकों के आवागमन को रजिस्टर में इन्ड्राज करना व उनको प्रस्थान तक पुर्ण निगरानी करना। 4.आवासनियों के बिमार होने पर उन्हें अस्पताल(ले.एल.एन./जनाना/डिस्पेन्सरी जैसा भी स्थिति हो) ले जाना तथा चिकित्सक के परामर्श अनुसार उनकी देखरेख करना व आवश्यकता होने पर उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करना पड़े तो उनकी चिकित्सालय में देखभाल व सुरक्षा करना। 5.आवासनियों के साथ उत्तम व्यवहार की अपेक्षा की जाती है कठोर व अप्रिय भाषा का उपयोग नहीं करना। 6.किसी भी अवांछनिय/अप्रिय घटना होने पर तत्काल अधिकारी के संज्ञान में लाना होगा। 7.अन्य कार्य जो अधिकारी निर्देशित करें सम्पादित करना होगा।	गृह परिसर के बाहर मुख्य दरवाजे पर पुरुष एवं गृह के अन्दर बैनल गेट पर महिला गार्ड के सेवा कार्य की आवश्यकता है। कार्य तीन पारियों में सम्पादित होगा। प्रातः 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक। दोपहर 2.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक। रात्री 10.00 बजे से प्रात 6.00 बजे तक। प्रत्येक पारी में एक महिला व एक पुरुष गार्ड अपनी सेवा देंगे जिन्हे आवश्यकतानुसार समय समय पर पारी परिवर्तन अधीकारी अपने स्तर पर निर्धारित करेगा।	महिला गार्ड हेतु न्यूनतम आठवीं पास होना आवश्यक है।	
2.	रसोइया	2 कुशल (महिला)	1.आवासनियों हेतु भोजन/नाश्ता/चाय/दुध बनाना एवं उनको परोसने की सम्पूर्ण प्रक्रिया करना। जिसमें स्वस्थता का पुर्ण ध्यान रखना होगा। 2.रसोइयों को समय पर उपस्थित होना होगा तथा निधारित पारी व समयानुसार भोजन नाश्ता तैयार करना व कार्य उपरान्त सम्पूर्ण सामग्री का निबटान व साफ—सफाई कर पूर्ण करना होगा। 3.आवासनियों के साथ किसी भी प्रकार की कठोर या अप्रिय भाषा का प्रयोग न करना। 4.आवासनियों को शुद्ध एवं ताजा भोजन देना। 5.किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का अपव्यय न करना। 6.खाद्य सामग्री के दुरुपयोग /खराब किये जाने पर नुकसान की भरपाई संवेदक से की जायेगी। 7.रसोइयों को अपने कार्य के प्रति पुर्ण निष्ठा व दायित्व की पुर्ति करना। 8.अधिकारी के आदेशानुसार समय —समय पर रयोई संबंधि कार्य निर्देश की पालना करना। 9.प्रातः एवं रात्री भोजन/नाश्ता उपरान्त डयुडी समाप्ति से पुर्व रसोइ के सम्पूर्ण कार्य की जिसमें साफ—सफाई चौकाबर्तन आदि पुर्ण करने पर ही प्रस्थान करना होगा।	गृह में आवासनियों हेतु सुवह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात्री का भोजन बनाने का कार्य हेतु आवश्यकता है। कार्य दो पारियों में प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक व दोपहर 2.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक। प्रत्येक पारी में 1-1 रसोइया अथवा दोनों कार्य करती है तो उक्त कार्य समय में परिवर्तन भी सम्भव है कुल दैनिक 08 घण्टे की न्यूनतम ड्यूटी आवश्यक होगी।	साक्षर।	

3.	अटेंडेन्ट	कुशल-2 (महिला)	<p>1.आवासनियों की सम्पूर्ण देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करना।</p> <p>2.आवासनियों के प्रवेश एवं पुर्ववास या स्वतंत्र होने पर उनकी पत्रालंबियों में आवश्यक दस्तावेज पत्रालंबी बद्ध करना।</p> <p>3.प्रवेश के समय नव प्रवेशित महिला की सम्पूर्ण तलाशी कार्य करना व बरामद हुये सामान को कार्यालय में जमा करना, परिसर साफ-सफाई बिस्तर की यथोचित एवं सुव्यवस्थित कराने का कार्य।</p> <p>3.नव प्रवेशित महिला को समस्त आवश्यक सामग्री भोजन उपलब्ध कराना।</p> <p>4.आवासनी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर चिकित्सक को दिखाना व आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल ले जाना व भर्ती होने पर चिकित्सालय में रहना।</p> <p>5.आवासनी के परिजनों से आवासनी को अपनी उपस्थिति में मिलवाना व निगरानी रखना।</p> <p>6.आवासनियों की दैनिक दिनचर्या का अनुशासनात्मक रूप से कियान्वित करना।</p> <p>7.अधीक्षक के द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना।</p>	<p>आवासनियों की आवश्यकता अनुसार उन्हे समस्त आवश्यक सामग्री सुविधायें उपलब्ध कराना। कार्य तीन परियों में सम्पादित होगा। प्रातः 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक। दोपहर 2.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक। रात्री 10.00 बजे से प्रात 6.00 बजे तक। आवश्यकतानुसार समय परिवर्तन किया जा सकता।</p>	न्युनतम 8 वी पास
4.	आया	कुशल-2 (महिला)	<p>1.गृह में आवासरत आवासनियों के शिशुओं की लालन-पालन / देखभाल करना।</p> <p>2. परिसर में बच्चों द्वारा फैलाई गई गंदगी की साफ-सफाई करना/शिशुओं के कपड़े/खिलोने/जुते-चप्पल आदि की समुचित देखभाल रखरखाव व सुरक्षा करना।</p> <p>3.आवासनियों के बच्चों के अस्वस्थ्य होने पर उन्हे अस्पताल ले जाने का कार्य व भर्ती कराये जाने की स्थिति में अस्पताल में रहकर समुचित देखभाल करना।</p> <p>4.बच्चों एवं आवासनियों को संस्था से बाहर आने व जाने के समय रास्ते में सुरक्षा रखना, आवासनी एवं बच्चों को समय पर दवाई/भोजन/दैनिकचर्या आदि को सुनिश्चित करने में सहयोग करना।</p> <p>5. अधीक्षक के द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना।</p>	<p>समय आया से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित करने हेतु समय प्रातः 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक। दोपहर 2.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक। रात्री 10.00 बजे से प्रात 6.00 बजे तक। आवश्यकतानुसार समय परिवर्तन किया</p>	साक्षर
5	स्वीपर	अकुशल-2 (महिला)	<p>1.गृह में प्रतिदिन साफ-सफाई पोंछा/झाड़ु/धुलाई का कार्य करना।</p> <p>2.गृह में शौचालय व स्नानागार में प्रतिदिन दो बार टॉयलेट ब्लीनर से सफाई करना व फ्लशनर टिकिया रखना।</p> <p>3.माह में एक बार गृह के छत की सफाई व जाले आदि को साफ करने का कार्य करना।</p> <p>4.माह में एक बार पानी की टंकियों की सफाई कर दिनांक अकित करना।</p> <p>5.गृह के बालकोनियों/दरवाजे/छज्जे/पंखे/ट्यूबलाईट आदि की माह में एक बार सफाई करना।</p> <p>6.गृह के कमरों में दैनिक रूप से पोंछा-झाड़ु लगाना</p>	<p>गृह परिसर के सम्पूर्ण सफाई का कार्य हेतु प्रातः 6.00 से दोपहर 2.00 तक व दोपहर 2.00 से रात्री 10.00 बजे तक।</p>	साक्षर/असाक्षर

6.	काउंसलर	1 पद(महिला)	<p>व साफ—सफाई हेतु समस्त सामग्री कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p>7.अन्य कार्य जो अधीक्षक निर्देशित करें।</p> <p>8.परिसर में लगे पौधों को पानी पिलाने का कार्य।</p> <p>9.परिसर के मुख्य द्वार के बाहर की साफ—सफाई करना।</p> <p>10.पीने का पानी टकियों में भरना।</p>	
7.	मनोवैज्ञानिक (विजिटिंग देना)	1 पद(महिला)	<p>1.आवासनियों की समय—समय पर काउंसलिंग करके उनका पुर्नवास के प्रयास करना व संबंधित आवासनी की पत्रावली में की गई काउंसलिंग रिपोर्ट का पत्रावली बढ़ करना/संधारण करना। 2.आवासनियों के साथ रनेहपूर्वक वार्ता करना व कठोरता पुर्ण व्यवहार नहीं करना।</p> <p>3.गृह कार्मिक के समक्ष काउंसलिंग करना।</p> <p>4.समय पर उपस्थित होना।</p>	<p>काउंसलिंग कार्य हेतु सोमवार से शनिवार प्रातः 10.00 से 6.00 बजे तक।</p> <p>एम.ए./एम.एस.सी. मनोविज्ञान/समाजशास्त्र</p>

- नोट:-1.प्रत्येक कामगार अपने स्वयं के खर्च पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होगा व प्रस्थान करेगा।
- 2.किसी भी कामगार को गृह में भोजन आदि की सुविधा देय नहीं होगी।
- 3.केवल मनोवैज्ञानिक विजिटिंग बैस पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से प्रति विजिट का भुगतान किया जायेगा अन्य सभी कार्य जॉब बैसिस पर ही सम्पादित होगे।
- 4.चुकि संस्था महिलाओं से संबंधित होने के कारण संवेदनशील संस्था है अतः संवेदनशील संस्था होने के कारण नियोजित कामगार उच्च नैतिक साफ—सुधारी छवि, कमठ व ईमानदार कामगार की ही वांछनिय रहेगी।
- 5.नियोजित किये जाने वाले कामगार संस्था की गोपनियता के लिये सत्यनिष्ट एंव उत्तरदायी होगे।
- 6.नियोजित किये जाने वाले कामगारों का पुलिस सत्यापन कराने के उपरांत ही नियोजित किया जायेगा।

अधीक्षक
नारी निकेतन
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग
अजमेर

2/